राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 2 (क) (K-280) अलेसे–I/1090 दिनांकः– 31-07-2020

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को उनके पदस्थापन कार्यालय के संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध अथवा अक्षम स्तर से स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार आवंटित किया जाकर आदेश का अनुमोदन करवाने हेतु प्रकरण निदेशालय में भिजवाये जाते हैं। अनेक प्रकरण ऐसे भी प्रकाश में आते हैं जो सक्षम स्तर से आदेश जारी होने के बावजूद भी नियमानुसार इस निदेशालय को सूचित नहीं किया जाता है, जो कि राजस्थान सेवा नियमों के पूर्णतः विपरीत है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर ऐसे आदेश भी जारी किये जाते हैं, जिसमें लेखाकर्मी को स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त मुख्यालय से बाहर, लम्बी दूरी के, भिन्न–भिन्न कार्यालयों में, रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में दिन/अवधि विशेष की बाध्यता की शर्त के साथ भी दे दिया जाता है, जो कि अव्यावहारिक एवं अनौचित्यपूर्ण तो होता ही हैं अपितु इसके परिणामस्वरूप लेखाकर्मी डिप्रेशन में आते हैं एवं इस निदेशालय को हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करते हैं, ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना राज्यहित एवं कार्मिक के हित में उचित नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय होगा कि संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा लेखाकर्मियों को अतिरिक्त कार्य का आवंटन राज. सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों में निदेशालय स्तर से अतिरिक्त कार्यभत्ता नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पाता है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 50 के संदर्भ में सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि राजस्थान सेवा नियम खण्ड II के परिशिष्ट 9 के क्रम संख्या 15 के अनुसार **"समस्त विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) को शक्तियां इस शर्त के साथ प्रदत्त की गई है कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के आदेशों की प्रति के साथ नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करेगा। "**

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन किया जाता है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को अतिरिक्त कार्य के प्रस्ताव इस निदेशालय को ही प्रेषित किये जावें, केवल अपरिहार्य स्थिति में ही राज. सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार ही स्वयं के पद के अलावा अन्य रिक्त पद जो कार्मिक के पदस्थापन मुख्यालय पर ही स्थित हो का अतिरिक्त कार्य का आदेश नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी कर आदेश का अनुमोदन निदेशक, कोष एवं लेखा से अवश्य करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 2 (क) (K-280) अलेसे–I/ 1090 दिनांकः– 31-07-2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
3. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार।
4. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय
6. रक्षित पत्रावली।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)